ABSTRACT

जनजातिय विकास में शिक्षा की भूमिका

गंगा प्रसाद साकेत
शोध छात्र,समाजशास्त्र
अ.प्र.सिंह वि.वि. ,रीवा (म.प्र.)

सारांश

स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख समस्या रही अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का शून्यपन। इस समस्या के समाधाान के लिये संवैधानिक प्रावधाान किये गये तथा संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। जनजातीय शिक्षा विकास के लिये सन् 1946 टक्कर समिति के रिपोर्ट तहत जनजातियों की निरक्षरता समिति का संकल्प लिया गया था। आजादी प्राप्त के बाद शिक्षा के नियोजित विकास के लिये पूर्व प्रथा के बुनियादी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तथा तकनीकी आदि के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को तेज किया गया। समाज और राष्ट्र के विकास में बाधक चार शत्रुओं-अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता का प्रोत्साहित करती है। रीवा जिले में हनुमना विकासखण्ड के कोल, गोड़ तथा बैगा जनजातियां निवास करती है। इस अध्ययन में 10 ग्रामों का चयन किया गया तथा 300 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार विधि द्वारा शोधकर्ता यह जानकारी प्राप्त किया।

मुख्य शब्द- *जनजातिय शिक्षा, ऋणग्रस्तता, संवैधानिक व्यवस्था*।

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्